कार्यालय सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार

प्रस्ताव सं. 13/2004 दिनांक :– 22-9-2004.

विषयः–राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन वाहनों के लिए नये अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल की शर्त निर्धारित करने बाबत् ।

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के लिए अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल की शर्त निर्धारित की गईं थी । विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2004 को राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.5 में संशोधन कर मार्गो के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है । राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.5 मे संशोधन के पश्चात् मार्गो को अधिसूचित मार्ग एवम् गैर अधिसूचित मार्ग में वर्गीकृत किया गया है तथा इन वर्गीकृत मार्गो को पुनः चार श्रेणियों, क्रमशः उप–नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग, अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र में पड़ने वाला मार्ग एवम् अन्य मार्ग के रूप में विभाजित किया गया है। पूर्व मे मार्गो को "ए", "बी" एवम् "सी" श्रेणी के मार्गो में सड़क मार्ग की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था । संशोधन के उपरान्त किये गये वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अनुज्ञापत्र स्वीकृति व नवीनीकरण के लिये पूर्व में निर्धारित मॉडल की शर्तो का पुनरावलोकन आवश्यक हो गया है ।

अतः जनहित को मध्य नजर रखते हुये राज्य परिवहन प्राधिकार राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी प्रस्तावों का अतिक्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के अनुज्ञापत्र स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल की शर्तें निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

वाहनों व अनुज्ञापत्रों का प्रकार	नये अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय वर्ष जिनसे पुराने मॉडल की वाहन न हो ।	नवीनीकरण करते समय वर्ष जिनसे पुराने मॉडल की वाहन न हो ।
1. स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र अ– चार पहिया वाहन		
(i) उपनगरीय मार्ग	10	15
(ii) अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनो में क्षेत्र में पड़ने वाला मार्ग	10	15

Scanned by CamScanner

(iii) ग्रामीण मार्ग (iv) अन्य मार्ग	30 20	30 25
ब– तिपाहिया वाहन (i) तिपहिया यात्री वाहन बैठक क्षमता 7 समस्त से अधिक (रीजनल हैडक्वाटर के लिए) (ii) तिपहिया यात्री वाहन बैठक क्षमता 7 समस्त से अधिक (अन्य स्थानों के लिए)	 15 20	 20 25
2. <u>संविदा वाहनों के अनुज्ञापत्र</u> (अ) सभी प्रकार के यात्री वाहन (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोडकर) (i) समस्त राजस्थान अनुज्ञापत्रों के लिए (ii) एक रीजन के अनुज्ञापत्र के लिए	 15 15	 15 20
(ब) मैक्सी कैब	15	15
(स) मोटर कैब (i) अन्तरराज्यीय अनुज्ञापत्र के लिए (ii) ऑल राजस्थान के अनुज्ञापत्र के लिए (iii)एक रीजन के अनुज्ञापत्र के लिए (iv)एक जिले की एक नगरपालिका क्षेत्र के अनुज्ञापत्र के लिए (पर्वतीय क्षेत्रों को छोडकर)	 10 15 15 20	 10 20 20 20
(द) तिपहिया यात्री वाहन बैठक क्षमता 5 समस्त से अधिक	15	20
(य) ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा	20	25
3. <u>शैक्षणिक संस्था बस</u>		
(i) नई खरीद की गई बस के लिए (ii) पुरानी खरीद की गई बस के लिए	25 20	25 20

परन्तु उपरोक्त मॉडल की शर्तो के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

(1) समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे [illegible] पर्वतीय क्षेत्रों को अपने स्तर पर चिंहित करेगें [illegible] उन चिंहित पर्वतीय क्षेत्रों [illegible] वाहन संचालन की रोक की शर्ते अनुज्ञा[illegible] स्वीकृत करते समय आरोपित कर जारी करते समय अंकित करेंगें ।

Scanned by CamScanner

(2) जयपुर शहर में संचालित तिपहिया यात्री वाहन जिनकी बैठक क्षमता 5 समस्त से अधिक है के लिये मॉडल की शर्त पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. प 7(122)परि / नियम/मु०/94 दिनांक 21.06.96 के अध्यधीन होगी ।

(3) इस प्रस्ताव में वर्णित मार्गो के वर्गीकरण का निम्नलिखित अर्थ होगा :–

(क) उप–नगरीय मार्ग और ग्रामीण मार्ग से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में यथा–परिभाषित कोई मार्ग अभिप्रेत होगा।

(ख) अन्य मार्ग से अभिप्रेत होगा :–

(i) ऐसा मार्ग जो उप–नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग, अनन्य रुप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोंनो के क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग के अन्तर्गत नही आता है ।

(ii) राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के प्रारम्भ के समय नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोंनो के क्षेत्र के अतिरिक्त विद्यमान मंजिली गाड़ी मार्ग जब तक कि राज्य सरकार द्वारा प्रवर्ग परिवर्तित नहीं कर दिया जाये ।"

(4) राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के प्रभावी होने से पूर्व जारी समस्त स्टैज कैरिज अनुज्ञापत्र वैद्यता तिथि तक मान्य होंगे ।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक :– प.9 (30)परि/आर.टी.ए/88– 8965-68 जयपुर, दिनांक :– 22.9.2004. 24/9/04

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

(1) समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार
(2) समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
(3) समस्त जिला परिवहन अधिकारी
(4) समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)

22.9.04.
अपर सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner